महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 67वीं बैठक

दिनांक

20 दिसम्बर, 2021

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 67वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 67वीं बैठक दिनांक 20.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित उपनिषद् कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
3.	डॉ. गीता शर्मा, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय, राज. महाविद्यालय, किशनगढ़	सदस्य
4.	प्रो. प्रवीण माथुर, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण एवं विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग	सदस्य
5.	प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	सदस्य
6.	प्रो. शिव प्रसाद, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
7.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	सदस्य
8.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग	सदस्य
9.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	सदस्य
10.	प्रो. आशीष भट्नागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
11.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
13.	मोहम्मद ईदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली ।	सदस्य
14.	श्री शंकर लाल, प्राचार्य, बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर ।	सदस्य
15.	श्रीमती अरूणा गुप्ता, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर ।	सदस्य
16.	कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-</u>

1.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2.	डॉ. सिस्टर पर्ल, प्राचार्य, सोफिया कॉलेज, अजमेर ।	सदस्य
3.	श्री बजरंग लाल बैरवा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, टौंक ।	सदस्य

नोटः- डॉ. सुनिता पचौरी, सहायक निदेशक, आयुक्त कॉलेज शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुई । विश्वविद्यालय अधिनियम में विद्या परिषद् के किसी भी सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में हिस्सा लेने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण उनकी उपस्थिति नहीं मानी गयी ।

सर्वप्रथम कुलसचिव महोदय ने नवनियुक्त माननीय कुलपति महोदय को पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया । माननीय कुलपति महोदय ने बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय की प्रगति में सभी सदस्यों से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा की । उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे महर्षि दयानन्द सरस्वती जैसे महान समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक के नाम पर स्थापित महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का कुलपति बनने का अवसर मिला । विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम शैक्षणिक दृष्टि से बहुत उपयोगी एवं अच्छे है तथा मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि विद्या परिषद् के सभी सदस्य इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करने में सहयोग करेंगे । इसके पश्चात् कुलपति महोदय ने कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 1	विद्या परिषद् की 64वीं बैठक दिनांक 31.08.2020 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (64) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2020/10028–47 दिनांक 19.07.2021 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन विद्या परिषद् की 66वीं बैठक दिनांक 24.07.2021 के मद संख्या 01 पर हो चुका है । अतः अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।**	
मद सं0 2	विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (65) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2021/10008-27 दिनांक 19.07.2021 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन विद्या परिषद् की 66वीं बैठक दिनांक 24.07.2021 के मद संख्या 01 पर हो चुका है । अतः अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।**	
मद सं0 3	विद्या परिषद् की 66वीं बैठक दिनांक 24.07.2021 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र	**शैक्षणिक-I**

	क्रमांक एफ. 13 (66) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2021/13082—101 दिनांक 02.08.2021 को प्रेषित की गई ।	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 4	विद्या परिषद् की 61वीं बैठक दिनांक 12.03.2020 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 5	विद्या परिषद् की 62वीं बैठक दिनांक 30.05.2020 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 6	विद्या परिषद् की 63वीं बैठक दिनांक 17.07.2020 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 7	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकायाध्यक्षों का कार्यकाल उनके नाम के सम्मुख दिनांक को समाप्त हो चुका है:-	**शैक्षणिक-I**

क्र.सं.	**संकाय का नाम**	**अवधि**
1	संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन	10.10.21
2	संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय	10.10.21
3	संकायाध्यक्ष-कला	23.07.21 से 22.07.23 **(इस पद पर कार्य करने हेतु असमर्थता एवं असहमति जताने के कारण रिक्त)**
4	संकायाध्यक्ष-विज्ञान	10.10.21
5	संकायाध्यक्ष-वाणिज्य	03.09.22 **(सेवानिवृत)**
6	संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन	10.10.21
7	संकायाध्यक्ष-विधि	10.10.21
8	संकायाध्यक्ष-शिक्षा	10.10.21

	अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (1) एवं 2 (2) के प्रावधानों के तहत उपर्युक्त संकायाध्यक्षों की नियुक्ति किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा उपस्थित सदस्यों की वोटिंग एवं सहमति के आधार पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि के लिए निम्नानुसार संकायाध्यक्षों को नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गयाः-**	

क्र.सं.	संकाय का नाम	संकायाध्यक्ष का नाम	अवधि
1	संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन	**प्रो. ऋतु माथुर, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**
2	संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय	**प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जिया-इन्फोरमेटिक्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**
3	संकायाध्यक्ष-कला	**डॉ. शमा खान, हिन्दी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**
4	संकायाध्यक्ष-विज्ञान	**प्रो. आशीष भटनागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**
5	संकायाध्यक्ष-वाणिज्य	**श्री शंकर लाल, प्राचार्य, बी.आर.मिर्धा राज. महाविद्यालय, नागौर ।**	**दो वर्ष**
6	संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन	**प्रो. शिव प्रसाद, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**
7	संकायाध्यक्ष-विधि	**डॉ. विभा शर्मा, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर ।**	**दो वर्ष**
8	संकायाध्यक्ष-शिक्षा	**1. प्रो. नगेन्द्र सिंह, क्षैत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर ।**	**सेवानिवृति दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ।**

	| - | | 2. प्रो. आयुष्मान गोस्वामी, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर । | दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से संकायाध्यक्ष-शिक्षा नियुक्त होंगे । |		
मद सं0 8	प्रबन्ध अध्ययन, अध्ययन बोर्ड की दिनांक 14.09.2021 को आयोजित बैठक की अनुशंसाओं पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 4)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 9	विद्या परिषद् की 64वीं बैठक दिनांक 31.08.2020 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 10	विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 11	विद्या परिषद् की 66वीं बैठक दिनांक 24.07.2021 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 12	विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन एवं पाठ्यक्रम के संबंध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3 (7) शिक्षा-4/2014 पार्ट दिनांक 04.07.2021 में वर्णित दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 02 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-8)** के	**परीक्षा नियंत्रक**

	क्रम में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत वेटेज एवं 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों का 60 प्रतिशत वेटेज देते हुए औसत के आधार पर अंक दिये जाकर अंकतालिका जारी करने के निर्णय संबंधी शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प 3(7) शिक्षा-4/2014 पार्ट दिनांक 11.08.2021 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-9)** पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 13	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रमों का निर्माण कराये जाने हेतु अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति की बैठक आयोजित करायी गयी । उक्त अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन विद्या परिषद् की 63वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2020 के निर्णय संख्या 04 पर किया गया । संकायाध्यक्ष समिति की अनुशंसा का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के कारण अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्षणिक-प्रथम/मदसविवि/2021/3209-3608 दिनांक 17.02.21 जारी करके स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-21 हेतु यथावत लागू किया गया । इसी प्रकार विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.21 के निर्णय संख्या 01 के अनुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्षणिक-प्रथम/मदसविवि/2021/20212-570 दिनांक 28.09.21 जारी करके स्नातक स्तर पर सत्र 2019-20 में संचालित वार्षिक परीक्षा प्रणाली आधारित समस्त पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-21 हेतु यथावत लागू किया गया । इस प्रकार सत्र 2020-21 हेतु अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रमों को उक्त अधिसूचनाओं के क्रम में मुद्रित नहीं कराया गया । फलस्वरूप कार्यालय के पास अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु तैयार नवीन/अपडेटेड पाठ्यक्रम रखें हुए है । अब चूंकि सत्र 2021-22 की परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रमों को मुद्रित कराया जाना है तथा कार्यालय के पास अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु तैयार नवीन/अपडेटेड पाठ्यक्रम रखें हुए है । अतः अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु तैयार नवीन/अपडेटेड स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के समस्त पाठ्यक्रम, जो कि विद्या परिषद् की	**शैक्षणिक-I**

	63वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2020 के निर्णय संख्या 04 के द्वारा अनुमोदित है, को ही सत्र 2021-22 हेतु मुद्रित कराने पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-** **1. सत्र 2021-22 को प्रारम्भ हुए लगभग 06 माह हो चुके है एवं छात्रों को पुराने पाठ्यक्रमों से ही अध्यापन कराया जा रहा है । अतः छात्र हित में सत्र 2020-21 में लागू पाठ्यक्रमों को यथावत ही सत्र 2021-22 में लागू किया जाय ।** **2. सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम को सत्र 2022-23 से लागू किया जाय।** **3. सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम की पुनर्समीक्षा (review) करने तथा परीक्षा स्कीम तथा शैक्षिक योजना को सभी संकायों के लिए एक समान रूप से तैयार करने हेतु संकायाध्यक्ष समिति को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं0 14	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** **(1) प्रतिवेदित है कि** छात्र हित में जिस शैक्षणिक सत्र में जो अध्यादेश प्रभावी रहा है तत्समय उसी अध्यादेश से उन शोधार्थियों की पत्रावलियों का निस्तारण किया जाता रहा है और भविष्य में भी सभी शोधार्थियों की पत्रावलियों का निस्तारण इसी प्रक्रिया के तहत किया जाए । माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित, 2020) की धारा 19 (18) के तहत प्रदत्त आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.11.2019 को आदेश प्रदान किये गये थे, जो कि विद्या परिषद् के अवलोकनार्थ एवं प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)**	**शोध**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(2) प्रतिवेदित है किः- 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 27.04.2020 एवं पब्लिक नोटिस दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के तहत शोधार्थियों को शोध प्रबन्ध जमा कराये जाने हेतु प्रदत्त अवधि	**शोध**

	विस्तार को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने के आदेश दिनांक 19.05.2020 एवं दिनांक 11.02.2021 को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त शक्तियों के तहत तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा आदेश/अनुमोदन प्रदान किये जाने की अनुपालना में क्रमशः कार्यालय आदेश क्रमांक 7135 दिनांक 26.05.2020 एवं 8957 दिनांक 26.02.2021 जारी किये गये । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11 एवं 12)** **2.** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पब्लिक नोटिस दिनांक 26.03.2021 के तहत शोधार्थियों को शोध प्रबन्ध जमा कराये जाने हेतु प्रदत्त अवधि विस्तार को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने के आदेश दिनांक 13.09.2021 को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त शक्तियों के तहत तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा आदेश/अनुमोदन प्रदान किये जाने की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 20000 दिनांक 21.10.2021 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-13)** **3.** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पब्लिक नोटिस दिनांक 01.12.2021 के तहत शोधर्थियों को शोध प्रबन्ध जमा कराये जाने हेतु दिनांक 30.06.2022 तक प्रदत्त अवधि विस्तार को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने हेतु प्रकरण को माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**बिन्दु संख्या 01 एवं 02 की पुष्टि की गयी तथा बिन्दु संख्या 03 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
	(3) प्रतिवेदित है कि विद्या परिषद् की 59वीं बैठक दिनांक 11.10.2019 के निर्णय संख्या 10 एवं प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 03 की पालना में माननीय कुलपति के आदेशानुसार समस्त संकाय के स्नातक प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में **"गाँधी जीवन और दर्शन"** सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने संबधी अधिसूचना क्रमांक एफ.13( )शैक्ष.प्रथम/ मदसविवि/ 2019/20856 दिनांक 11.12.2019 जारी की गई। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14)** प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने पत्रांक एफ. ( )परीक्षा / मदसविवि/2020-21/1249 दिनांक 27/10/2021 द्वारा सूचित किया है	**परीक्षा नियंत्रक**

	कि NCTE की गाईडलाइन के अनुसार BA B.Ed. एवं B.Sc. B.Ed. प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित कोर्स 6 "Version of Education India" concerns & Issues में गाँधी के जीवन और दर्शन को पूर्व में ही सम्मिलित किया हुआ है। उक्त तथ्य के दृष्टिगत माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 27.10.2021 की पालना में BA B.Ed. एवं B.Sc. B.Ed. प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल अनिवार्य विषय **"गाँधी जीवन और दर्शन"** को हटाने सम्बन्धी आदेश विद्या परिषद के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15, 16 एवं 17)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 15	MBA, M.Sc. एवं MCA पाठ्यक्रमों में सैमेस्टर स्कीम लागू है लेकिन पाठ्यक्रम में छात्रों को Lower Semester यथा Semester-I, III & Vth में ATKT (Attempt to keep Term) का अवसर प्रदान होने के कारण दो पेपर में ड्यू होने पर भी अगले सैमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र माना गया है। Semester-I, III & Vth के Due Paper की परीक्षायें आने वाले अगले सत्र की मुख्य सैमेस्टर के साथ माह दिसम्बर एवं जनवरी में सम्पन्न होती है लेकिन उसके अन्तिम सैमेस्टर IVth and VIth की परीक्षायें चालू सत्र के माह जून-जुलाई में Pass out करने पर उपाधि जारी करने का नियम है। ऐसी स्थिति में निम्न सैमेस्टर के बकाया पेपर वाले परीक्षार्थी को अगले सत्र की Semester-I, III & Vth में निर्धारित अवसरों तक उत्तीर्ण करने पर उनके प्राप्तांक आगामी सत्र के Final Semester की अंकपंजिका में अन्तिम रोल नंबर पर पंजीकृत करते हुए समस्त सैमेस्टर का योग संकलित कर Division (श्रेणी) अवार्ड कर उपाधि घोषित परिणाम के अनुसार प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 16	**<u>उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिया गयाः-</u>** **गणतंत्र दिवस (वर्ष 2022) की परेड में जो विद्यार्थी भाग ले रहे है उनके लिए विश्वविद्यालय परिसर में पृथक से विशेष परीक्षा आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया ।**	**परीक्षा नियंत्रक**

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव